## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
निदेशालय,माध्यमिक शिक्षा
निदेशालय,प्रारंभिक शिक्षा

क्रमांकः F.21/NRHM/Deworming/2015/6022 दिनांकः 6-1-16
क्रमांकः – SSE/272/2016 दिनांकः 6-1-16
क्रमांकः – SEE/04/2016 दिनांकः 6-1-16
क्रमांकः F26(4)()/2016 ... /FCDS/13/1583 दिनांकः 11.1.16

समस्तमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त उपनिदेशक,महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा. शि.)/ए.डी.पी.सी. (माध्यमिक शिक्षा अभियान),
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.)/ए.डी.पी.सी. (सर्व शिक्षा अभियान)

**विषयः राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी 2016) के क्रियान्वयन हेतु जारी परिपत्र भिजवाने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बच्चों में कृमि संक्रमण व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमित/दूषित मिट्टी के संपर्क से होता हैं। बच्चों की आंत (पेट) में कृमि (कीड़े) संक्रमण के बहुत से हानिकारक प्रभाव है, जैसे खून की कमी (एनीमिया), कुपोषण,भूख न लगना,थकान और बेचैनी होना,मल में खून आना,पेट में दर्द होना आदि। साक्ष्य सिद्ध करते है कि उपरोक्त सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कृमि नियंत्रण एक प्रभावी उपाय है। बच्चों में कृमि नियंत्रण के सीधे फायदे खून की कमी में सुधार और बेहतर पोषण स्तर है जबकि अनुमानित फायदों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद,विद्यालय और आंगनबाड़ीकेन्द्रों में उपस्थिति,सीखने की क्षमता में सुधार तथा भविष्य में कार्यक्षमता और औसत आय में बढ़ोतरी शामिल है।

कृमि नियन्त्रण कार्यक्रम केविगत तीन चरणों की भांति, इस वर्ष भी राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2016 को सम्पूर्ण प्रदेश के आंगनबाड़ीकेन्द्रों और विद्यालयों में 1 से 19 वर्ष केसभी बच्चों के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित किया जाएगा। जो बच्चे बीमार होने या अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 10 फरवरी 2016 को दवाई नहीं ले पायेंगे, उन्हें यह दवाई मॉप–अप दिवस (15 फरवरी 2016) को दी जाएगी। 1 से 6 वर्ष के बच्चों को (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) आंगनबाड़ीकेन्द्रों के माध्यम से और 6 से 19 वर्ष के बच्चों को विद्यालयों (सरकारी, निजी, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मदरसा) के माध्यम से कृमि नियन्त्रण की दवाई (एलबेंडाजॉल) दी जाएगी। विद्यालय न जाने वाले बच्चों (6 से 19 वर्ष) को पास के सरकारी विद्यालय के माध्यम से दवाई दी जाएगी।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपका सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अपेक्षा है कि निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे–

1. **विद्यालय के लिए दवाई**: कृमि नियन्त्रण की दवाई (एलबेंडाजॉल 400 मि.ग्रा.गोली) प्रत्येक ब्लॉक मेप्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या और इनविद्यालयों में डाईस 2014 के नामांकन को आधार मानते हुए बी.सी.एम.ओ. कार्यालय में दिनांक 10 जनवरी 2016 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित बी.सी.एम.ओ. को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण (19–29 जनवरी) आरंभ होने से पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु तय किये गएप्रशिक्षण स्थल की जानकारी 10 जनवरी 2016 तक उपलब्ध करवानी है जिससे कि बी.सी.एम.ओ.दवाई के साथ–साथ आई.ई.सी. एवंप्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा सके।

2. **आंगनबाड़ी के लिए दवाई:** जिला स्तर पर मौजूद कृमि नियन्त्रण की दवाई (गोली एवं शीशी) को आर.सी.एच.ओ. उपलब्ध सूचीनुसार सम्बन्धित उपनिदेशक आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित करकेबी.सी.एम.ओ. कार्यालय में दिनांक 10 जनवरी 2016 तक पहुँचायेंगे। बी.सी.एम.ओ. सम्बन्धित सी.डी.पी.ओ.से सम्पर्क करके 15 जनवरी 2016 तक दवाई की उपलब्धता आंगनबाड़ी स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

3. **आई.ई.सी.एवं प्रशिक्षण सामग्री**
   - विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए आई.ई.सी. एवं अन्य सामग्री का मुद्रण स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर किया जा रहा है।मुद्रित सामग्री 12 जनवरी 2016 तक राज्य स्तर पर उपलब्ध होगी। समस्त सी.एम.एच.ओ. /आर.सी.एच.ओ.को मुद्रित सामग्री की मात्रानुसार अपने जिले से वाहन भेजकर इस सामग्री को एकत्रित करवाना सुनिश्चित करना है।
   - यह सामग्री 14 जनवरी 2016 तक आर.सी.एच. ओ. द्वारा विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए उपलब्ध सूचीनुसार बी.सी.एम.ओ.कार्यालय में पहुँचायी जाये। सम्बन्धित बी.सी.एम.ओ.ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं सी.डी.पी.ओ.से सम्पर्क करके सूचीनुसार दवाई, आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण सामग्री का एकीकृत वितरण 16 जनवरी 2016 तक सुनिश्चित करेंगे।

4. **सामुदायिक जागरूकता**
   - राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का जिला स्तरीय उद्घाटन समारोह दिनांक 10 फरवरी 2016 को जिला कलेक्टर या अन्य गणमान्य व्यक्ति (क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला प्रमुख आदि) द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
   - ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन समारोह क्षेत्र के विधायक, प्रधान, एस.डी.एम. /बी.डी.ओ. या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा करवाया जाये। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. के सहयोग से आयोजित किये जायेंगे।
   - स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग समुदाय स्तर पर कार्य कर रहे अपने प्रतिनिधियों (ए.एन.एम.,आशा, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन) को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से एक सप्ताह पूर्व और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व मॉप–अप दिवस के बीच की अवधि में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने के लिए शामिल करें।
   - संबंधित विभागों के ये प्रतिनिधि ग्राम पंचायत, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण समिति, विद्यालय प्रबन्धन समिति, रात्रि चौपाल की बैठकों में कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ–साथ समुदाय आधारित अन्य बैठकों में भी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें।
   - राज्य स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से एक दिन पूर्व स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करके उन्हें कार्यक्रम के बारे मे जानकारी दी जायेगी। सम्बन्धित विभाग जिला स्तर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से एक दिन पूर्व प्रेस विज्ञप्ति जारी करें ताकि कार्यक्रम आयोजित होने के दिन अखबारों के माध्यम से जनसामान्य को सूचित किया जा सके और जागरूकता पैदा की जा सके।

5. **प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

| क्र.सं | विवरण | प्रशिक्षक | प्रतिभागी | समय–सीमा | जिम्मेदार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य स्तरीय प्रशिक्षण | • स्वास्थ्य विभाग<br>• एविडेन्श एक्शन – डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव | • राज्य स्तरीय प्रतिभागी :– स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस.से नोडल अधिकारी,यूनिसेफ प्रतिनिधि<br><br>जिला स्तरीय प्रतिभागी<br>• स्वास्थ्य विभाग – 34 आर.सी. एच.ओ.<br>• समेकित बाल विकास सेवाएं – 33 उपनिदेशक<br>• प्रारम्भिक शिक्षा विभाग – 33 ए.पी.सी. /ए.डी.पी.सी<br>• माध्यमिक शिक्षा विभाग – 33ए.पी.सी. /ए.डी.पी.सी | जनवरी 8, 2016 | स्वास्थ्य विभाग एविडेन्श एक्शन – डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव के सहयोग से |
| 2. | जिला स्तरीय प्रशिक्षण | आर.सी.एच.ओ. | • बी.सी.एम.ओ.<br>• सी.डी.पी.ओ.<br>• प्रत्येक ब्लॉक से 4 बी..आर.पी. | जनवरी 11 व 12, 2016 | प्रशिक्षण स्थलके चयनएवं व्यय के लिए संबंधित विभागजिम्मेदारहोंगे एवं प्रशिक्षण स्थलकीसूचनाआर.सी.एच.ओ.. को देगें। |
| 3. | ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण | • बी.आर.पी.<br>• सी.डी.पी.ओ.<br>• बी.सी.एम.ओ. | • प्रत्येक सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय,नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं मदरसा से एक अध्यापक<br>• महिला पर्यवेक्षक एवं सेक्टर बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता<br>• ए.एन.एम. एवं सेक्टर बैठक मेंआशा | जनवरी 19 से 29, 2016 | स्वास्थ्य विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभागएवं आई.सी.डी.एस |

6. रिपोर्टिंग प्रणाली :

शिक्षा विभाग के लिए

| स्तर | विवरण | समय–सीमा |
|---|---|---|
| स्कूल | • सभी सरकारी विद्यालय नोडल प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग प्रपत्र जमा करायें।<br>• निजी विद्यालय, मदरसा, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय सम्बन्धित बी.आर.पी. को रिपोर्टिंग प्रपत्र जमा करें।<br>• सभी विद्यालय अध्यापक हैंडआउट के साथ दिये गये रिपोर्टिंग प्रपत्र में आंकड़े भरकर उसकी एक प्रति अपने विद्यालय पर रखें और मूल प्रति नोडल प्रधानाध्यापक / बी.आर.पी. को रिपोर्टिंग के लिए भेज देवें। | फरवरी 19,2016 तक |
| नोडल प्रधानाध्यापक (नोडल) | • विद्यालयों से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों को एकत्रित करके सम्बन्धित बी.आर.पी. को जमा करें। | फरवरी 26,2016 तक |
| बी.आर.पी. (ब्लॉक) | • नोडल प्रधानाध्यापक और निजी विद्यालय, मदरसा, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों को संकलित करके ए.डी.पी.सी. के पास जमा करें। | मार्च 10,2016 तक |
| ए.डी.पी.सी. (जिला) | • बी.आर.पी. से प्राप्त आंकडों को संकलित करके राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी (राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्) को जमा करें। | मार्च 17,2016 तक |
| नोडल अधिकारी (राज्य) | • ए.डी.पी.सी. से प्राप्त जिलों के प्रपत्रों को संकलित करके रिपोर्ट नोडल अधिकारी (कृमि नियन्त्रण कार्यक्रम), स्वास्थ्य विभाग को जमा करें। | मार्च 20,2016 तक |

आई.सी.डी.एस. के लिए :

| स्तर | विवरण | समय–सीमा |
|---|---|---|
| आंगनबाड़ी | • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैंडआउट के साथ दिये गये रिपोर्टिंग प्रपत्र को भरकर उसकी एक प्रति आंगनवाडी केन्द्र पर रखें और मूल प्रति आशा सहयोगिनी को जमा करें। | फरवरी 17,2016 तक |
| आशा सहयोगिनी | • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिपोर्टिंग प्रपत्र एकत्रित करके ए.एन.एम. के पास जमा करें। | फरवरी 19,2016 तक |
| ए.एन.एम. | • आशा से प्राप्त सभी रिपोर्टिंग प्रपत्रों को एकत्रित करके बी.सी.एम.ओ. को जमा करें। | फरवरी 26,2016 तक |
| बी.सी.एम.ओ. | • सभी रिपोर्टिंग प्रपत्रों को संकलित करके आर.सी.एच.ओ. के पास जमा करें। | मार्च 10,2016 तक |
| आर.सी.एच.ओ. | • सभी बी.सी.एम.ओ. से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों को संकलित करके राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी (कृमि नियन्त्रण कार्यक्रम), स्वास्थ्य विभाग को जमा करें। | मार्च 17,2016 तक |

- नोडल अधिकारी (कृमि नियन्त्रण कार्यक्रम), स्वास्थ्य विभाग दिनांक 29 मार्च 2016 तक निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भारत सरकार को भेजेंगे।
- सभी स्तर के लिए रिपोर्टिंग प्रपत्र संलग्न है (अनुलग्नक 'क')

7. **कार्यक्रम मॉनिटरिंगः** स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग (प्रारंभिक एवं माध्यमिक दोनों) और आई.सी.डी.एस. के जिला एवं ब्लॉक अधिकारी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी, 2016) पर और इससे पूर्व 8–9 फरवरी को कम से कम 5 विद्यालयों एवं 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य करे, ताकि कार्यक्रम हेतु आवश्यक तैयारी और क्रियान्वयन का जायजा लिया जा सके। मॉनिटरिंग के दौरान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस निरीक्षण प्रपत्र का उपयोग 10 फरवरी को और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस चेकलिस्ट का उपयोग 8–9 फरवरी को करें। ब्लॉक स्तर के अधिकारी उनके द्वारा पूर्ण किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण प्रपत्र 10 मार्च 2016 तक अपने सम्बन्धित जिला अधिकारी को भेजें। जिला स्तरीय अधिकारी ब्लॉक से प्राप्त निरीक्षण प्रपत्रों के साथ उनके द्वारा किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित निरीक्षण प्रपत्र 17 मार्च 2016 तक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी का भेजें। शिक्षा विभाग एवं आई.सी.डी.एस. के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी सभी निरीक्षण प्रपत्र नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग को 20 मार्च 2016 तक भेजें जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वाराइनका विश्लेषण करके भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी जा सके।

8. **प्रतिकूल घटना (एडवर्स इवेंट) प्रबन्धन :**
   - कृमि नियन्त्रण दवाई के बहुत कम साईड इफेक्ट्स होते है। बच्चों के शरीर में कृमि के कारण कुछ मामूली साईड इफेक्ट्स जैसे चक्कर आना, जी मिचलना, सिर दर्द, उल्टी, दस्त और थकान अनुभव होने की संभावना हो सकती है। ये साईड इफेक्ट्स अस्थायी होते है जो कुछ समय में स्वतः ही ठीक हो जाते है।
   - किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम करवाएं और पीने का साफ पानी देंवे। फिर भी अगर बच्चा ठीक महसूस न करें तो नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से सम्पर्क करें या 108 पर फोन करें।
   - अध्यापक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. और स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र के फोन नम्बर अपने पास सम्भाल कर रखें।
   - स्वास्थ्य विभाग विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाईल टीमों और कार्यक्रम हेतु गठित की गयी ब्लॉक स्तरीय इमरजेन्सी रेसपॉन्स टीम (एक चिकित्सक, नर्स, ए.एन.एम.) को तैयार रखें।

## शिक्षा विभाग की भूमिका

1. शिक्षा विभाग हेतु जिला परियोजना समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (एस.एस.ए./रा.मा.शि.अ.), कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करेगें। इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्माण करेंगे।
2. ब्लॉक स्तर पर आपूर्ति किये गये प्रत्येक जार में 200 गोलियां है। प्रत्येक विद्यालय को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान नामांकन के अनुसार गोलियों का वितरण किया जाना है। वितरण के दौरान जार को खोलना नहीं है और प्रत्येक विद्यालय को न्यूनतम एक जार (200 गोली) देवें। यदि किसी विद्यालय में 220 विद्यार्थी नामांकित है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यालय को दो जार (कुल 400 गोलीं ) देवें।
3. विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों (ड्रॉप आउट या कभी नामांकित नहीं हुए बच्चे) को पास के सरकारी विद्यालय से दवा दी जायेगी। अतः प्रति विद्यालय दवाई की गणना करते समय नामांकन के साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

4. जिला स्तरीय प्रशिक्षण (जनवरी 11 व 12, 2016) हेतु सर्व शिक्षा अभियान के चार सन्दर्भ व्यक्तियों के नाम, मोबाइल तथा बी.ई.ओ. का पता 8 जनवरी 2016 तक ई–मेल द्वारा सी.एम.एच.ओ./आर. सी.एच.ओ.और swshecell@hotmail.com पर भेजें।
5. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण (19–29 जनवरी, 2016) हेतु विस्तृत कार्य–योजना तैयार की जाये और सम्बन्धित अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के आदेश प्रशिक्षण स्थल और दिनांक की सूचना के साथ जि.शि.अ. (प्रा.) एवं जि.शि.प. (मा.) द्वारा 15 जनवरी, 2016 से पूर्व आवश्यक रूप से जारी कर दिए जाए।
6. सुनिश्चित करें कि ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में डाईस 2014 को आधार मानते हुए सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं मदरसा से एक अध्यापक/प्रधानाध्यापक को अवश्य प्रशिक्षित किया जाये। केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय के प्रतिनिधि को संलग्न सूचीनुसार (अनुलग्नक 'ख') ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में आमंत्रित किया जाये।
7. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण (19–29 जनवरी) के दौरान दवाई, आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण सामग्री का एकीकृत वितरण सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कार्यरत एस.एस.ए. के जिला स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित चारों सन्दर्भ व्यक्ति (बी.आर.पी) उत्तरदायी होगें और उक्त सामग्री को ले जाने का दायित्व सम्बन्धित विद्यालय के अध्यापक/प्रधानाध्यापक का होगा।
8. दिनांक 10 से 14 जनवरी, 2016 के बीच दवाई, आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण सामग्री को बी.सी.एम.ओ. के साथ समन्वय करके एकत्रित करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विद्यालय को दो पोस्टर (दो प्रकार के) और एक अध्यापक हैंड आउट दिया जायेगा। दवाई दिए गए बच्चों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रपत्र अध्यापक हैड आउट के साथ ही संलग्न है।
9. प्रशिक्षण सामग्री के साथ प्रत्येक ब्लॉक में 4 बी.आर.पी. के लिए 4 फ्लिप चार्ट उपलब्ध कराये गये है, जिसका उपयोग ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में सुनिश्चित किया जाये। फ्लिप चार्ट के बिना प्रशिक्षण न किये जाये।
10. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापक अपने विद्यालय के अन्य अध्यापकों का भी कार्यक्रम के बारे में आमुखीकरण करें।
11. आशा गृह भ्रमण के दौरान विद्यालय न जाने वाले बच्चों ( 6–19 वर्ष ) की सूची तैयार करके नजदीकी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को देगी। सम्बन्धित विद्यालय इस सूचीनुसार विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दवाई देना सुनिश्चित करें। आशा द्वारा इन बच्चों को कृमि मुक्ति दिवस के दिन (10 फरवरी 2016) पास के सरकारी विद्यालय में दवाई दिलवाने के लिए भी ले जाया जायेगा।
12. कृमि मुक्ति दिवस के दिन (10 फरवरी 2016)साफ पीने का पानी और गिलास की व्यवस्था अवश्य रखें।
13. अध्यापक एल्बेन्डाजॉल की गोली को चबाकर बच्चों के सामने गोली को लेने का तरीका प्रदर्शित करें।
14. 6 से 19 वर्ष के विद्यालय में नामांकित और विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को एल्बेन्डाजॉल (400 मि.ग्रा.) की एक पूरी गोली अध्यापक अपने सामने चबाकर पानी के साथ देवें। गोली निगलने के लिए मना करें और घर जाकर खाने के लिए ना दें।
15. जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवाई ले रहे हैं उन्हें एल्बेन्डाजॉल की गोली न देवें।
16. उपस्थिति रजिस्टर में 10 फरवरी को गोली खिलाने के साथ–साथ बच्चे के नाम के सामने एक सही (√) का निशान लगाएं।
17. जो बच्चे 10 फरवरी को गोली खिलाने से रह गये है उन्हे मॉप–अप दिवस (15 फरवरी) पर गोली खिलाने के साथ–साथ रजिस्टर में दो सही (√√) के निशान लगाएं।
18. एक सप्ताह पूर्व से प्रतिदिन अध्यापक प्रार्थना सत्र में और पढ़ाते समय विद्यालय में होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की जानकारी दी जाये तथा 10 फरवरी 2016 को बच्चों को उपस्थित होने के लिए आग्रह करें।
19. पोस्टर को सही जगह और तरीके से लगाये ताकि सभी उसे सभी पढ़ पाएं।
20. कार्यक्रम आयोजित होने के एक सप्ताह पूर्व अध्यापक समुदाय जागरूकता गतिविधियां जैसे प्रभात फेरी, अभिभावक–शिक्षक बैठक, विद्यालय प्रबन्धन समिति बैठक में कृमि नियन्त्रण के लाभ और कार्यक्रम आयोजन की तिथियों के बारे में बताएं।

21. बच्चों की कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए चित्रकला, नारा लेखन, भाषण, आदि गतिविधियां आयोजित की जाए।
22. सरपंच या समुदाय में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करके विघालय स्तर पर कार्यक्रम का शुभारम्भ करें।
23. रिपोर्टिंग प्रणाली में बतायी गयी तिथिनुसार प्रत्येक स्तर पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

## आई.सी.डी.एस. की भूमिका

1. जिला स्तरीय प्रशिक्षण (जनवरी 11 व 12, 2016) हेतु सी.डी.पी.ओ. के नाम, मोबाइल नम्बर तथा सी.डी.पी.ओ. का पता 8 जनवरी, 2016 तक ई–मेल द्वारा सी.एम.एच.ओ./आर.सी.एच.ओ. और maheshsharmagor@gmail.comपर भेजें।
2. परियोजना/सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान दवाई, आई.ई.सी., एवं प्रशिक्षण सामग्री का एकीकृत वितरण सुनिश्चित करने के लिए सी.डी.पी.ओ. उत्तरदायी होगें और उक्त सामग्री को ले जाने का दायित्व सम्बन्धित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का होगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को दो पोस्टर (दो प्रकार के) और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैंड आउट दिया जायेगा। दवाई दिए गए बच्चों की रिपोर्टिंग करने के लिए प्रपत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैंड आउट के साथ ही संलग्न है।
3. प्रशिक्षण सामग्री के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए एक फ्लिप चार्ट उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण में सुनिश्चित किया जाये। फ्लिप चार्ट के बिना प्रशिक्षण न किये जाये।
4. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग आर.सी.एच.ओ. से समन्वय करके 10 जनवरी, 2016 तक बी.सी.एम.ओ. कार्यालय में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सी.डी.पी.ओ. सम्बन्धित बी.सी.एम.ओ. से समन्वय करके आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण सामग्री के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दवाई की उपलब्धता परियोजना स्तर पर 15 जनवरी, 2016 तक सुनिश्चित करें।
5. 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए एलबेन्डाजॉल (400 मि.लि.) सिरप की शीशी एवं 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एलबेन्डाजॉल (400 मि.ग्रा.) की गोली उपलब्ध करायी गयी है।
6. आंगनबाड़ी केन्द्र पर दवाई की आवश्यकता की गणना करते समय अपंजीकृत बच्चों (1 से 6 वर्ष) की संख्या को भी ध्यान में रखा गया है अतः केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों (1 से 6 वर्ष) को दवाई देना सुनिशिचित किया जाये।
7. यदि किसी कारणवश 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर सिरप की शीशी उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे बच्चों के लिए आधी गोली का उपयोग निर्देशानुसार किया जा सकता है। विगत राउण्ड से बची हुयी सिरप/गोली का उपयोग भी इनके खराब होने की तिथि (एक्सपायरी तिथि) की जांच उपरान्त किया जा सकता है।
8. 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी सिरप की शीशी पिलाएं या आधी गोली दें। 2–6 साल के बच्चों को एक पूरी गोली दें। आधी या पूरी गोली को देने के लिए दो चम्मच के बीच में पूरी तरह चूरा करके, पीने के पानी में मिलाकर पिलाएं।
9. आर.सी.एच.ओ. एवं उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास यह सुनिश्चित करें कि जिन आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ता नहीं है उन आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु निकट के उपकेन्द्र की ए.एन.एम. 15 जनवरी 2016 तक अपना भ्रमण कार्यक्रम (दिनांक सहित) बनाकर बी.सी.एम.ओ. एवं आर.सी.एच ओ. को प्रस्तुत करेगी। आर.सी.एच.ओ. उपनिदेशक–महिला एवं बाल विकास से उन आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची लेगें जहां आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है एवं यह सूची सम्बन्धित ए.एन.एम. को देगें जिससे वो अपना भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। ए.एन.एम. द्वारा इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में निश्चित तिथि (10 व 15 फरवरी 2016) को दवा दी जायेगी और इसकी रिपोर्टिंग निर्धारित प्रपत्र और तिथिनुसार सुनिश्चित की जाये।
10. आर.सी.एच.ओ. एवं उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस. कम से कम पांच आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करेगें जहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है।

11. आशा गृह भ्रमण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र पर अपंजीकृत बच्चों (1 से 6 वर्ष) की सूची तैयार करके कृमि मुक्ति दिवस से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देगी ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन बच्चों के माता–पिता से संपर्क करके कृमि मुक्ति दिवस के दिन (10 फरवरी 2016)इन बच्चों को दवाई देना सुनिश्चित कर सके।
12. कृमि मुक्ति दिवस के दिन (10 फरवरी 2016) साफ पीने का पानी और गिलास की व्यवस्था रखें।
13. जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवाई ले रहे हैं उन्हें एल्बेन्डाजॉल की गोली न देवें।
14. उपस्थिति रजिस्टर में 10 फरवरी को गोली खिलाने के साथ–साथ बच्चे के नाम के सामने एक सही (√) का निशान लगाएं।
15. जो बच्चे 10 फरवरी को गोली खिलाने से रह गये है उन्हे मॉप–अप दिवस (15 फरवरी) पर गोली खिलाने के साथ–साथ रजिस्टर में दो सही (√√) के निशान लगाएं।
16. पोस्टर को सही जगह और तरीके से लगाये ताकि सभी उसे पढ़ पाएं।
17. सरपंच या समुदाय में मौजूद गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करके आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यक्रम का शुभारम्भ करें।
18. कार्यक्रम आयोजित होने के एक सप्ताह पूर्व से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में बच्चों, माता–पिता और समुदाय को जागरुक करें। माता–पिता को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (10 फरवरी 2016) और मॉप–अप दिवस की तिथि (15 फरवरी 2016) अवश्य बतायें ताकि वे अपने बच्चों (1 से 6 वर्ष) को इस दिन आंगनबाड़ी केन्द्र पर जरुर लेकर आये।
19. रिपोर्टिंग प्रणाली में बतायी गयी तिथिनुसार प्रत्येक स्तर पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें।

**स्वास्थ्य विभाग की भूमिका**

1. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक सम्बन्धित विभागों एवं एविडेन्श एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव की भागीदारी के साथ जनवरी 2016 में आयोजित करवायी जाए। इस बैठक उपरान्त फरवरी 2016 के प्रथम सप्ताह में समिति की एक और बैठक आयोजित करना जिससे कि कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु तैयारी को देखा जा सके। दोनों बैठकें आयोजित होने के तीन दिवस की अंदर कार्यवाही विवरण सम्बन्धित विभागों को भेजना जिससे कि बैठक में तय किये गये बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जा सके।
2. स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ओ.आर.एस. पैकेट, डोमपेरिडॉन टेबलेट, डाईसाइक्लोमिन टेबलेट/सस्पेन्शन, पैरासिटामोल टेबलेट/सस्पेन्शन तथा सी.पी.एम. टेबलेट/सेट्रिजिन टेबलेट की व्यवस्था मामूली प्रतिकूल घटना के प्रबन्धन हेतु उपलब्ध रहे।
3. विद्यालय न जाने वाले बच्चों (6 से 19 वर्ष) को पास के सरकारी विद्यालय से कृमि नियन्त्रण की दवाई दिलवाने के लिए लाने का दायित्व आशा का होगा। ऐसे बच्चों और उनके माता–पिता को प्रेरित करने के लिए आशा कार्यक्रम आयोजित होने से एक सप्ताह पूर्व घर–घर जाकर सम्पर्क करें और उन्हें कृमि नियन्त्रण के लाभ एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा मॉप–अप दिवस की तिथि बताएं। इन बच्चों की सूची तैयार करने और उसकी एक प्रति नजदीक के सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को देने के लिए पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।
4. आशा को विद्यालय न जाने वाले चिन्हित किये गये बच्चों की जानकारी आशा रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करके, इस प्रपत्र की एक प्रति ए.एन.एम. को देनी है जिसके आधार पर आशा को रू.100 की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। आशा रिपोर्टिंग प्रपत्र आशा को सेक्टर स्तर पर आमुखीकरण के दौरान दिया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर अपंजीकृत बच्चों (1 से 6 वर्ष) की सूची तैयार करके कृमि मुक्ति दिवस से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देने की जिम्मेदारी आशा की होगी।
5. राज्य स्तर पर मुद्रित की जा रही आई.ई.सी. तथा प्रशिक्षण साम्रगी में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय के लिए बैनर, आशाओं के लिए हैंडआउट, आशा रिपोर्टिंग प्रपत्र और आशा द्वारा समुदाय में वितरित करने के लिए कार्यक्रम सम्बन्धित जागरूकता पर्चे शामिल है।

6. शिक्षा विभाग और आई.सी.डी.एस. की आई.ई.सी. एवं प्रशिक्षण सामग्री के साथ–साथ उल्लेखित सामग्री भी 12 जनवरी, 2016 को जिले से वाहन भेजकर एकत्रित करवाना सुनिश्चित करें। मुद्रण का कार्य पूरा होते ही सभी सी.एम.एच.ओ. /आर.सी.एच.ओ. को इस सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा।
7. तीनों विभागों (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आई.सी.डी.एस.) के ब्लॉक प्रतिनिधियों के जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रेजेन्टेशन एविडेन्श एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव द्वारा आर.सी.एच.ओ. को उपलब्ध कराये जायेगें। संस्था के जिला समन्वयक भी आवश्यक सहयोग हेतु इन प्रशिक्षणों में उपस्थित रहेगें।
8. प्रशिक्षण मॉनिटरिंगः कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 जिले जिनमें विद्यालय और आंगनबाड़ी दोनों में फरवरी 2015 में आयोजित हुए कृमि नियंत्रण कार्यक्रम (फरवरी 2015) में कवरेज का प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में सबसे कम रहा, में जिला स्तरीय प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग की जायेगी। आर.सी.एच.ओ. सुनिश्चित करें कि सभी प्रतिभागियों की प्री और पोस्ट जांच की जाये। इस जांच हेतु एक नमूना प्रपत्र एविडेन्श एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव के जिला समन्वयक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। आर.सी.एच.ओ. इस नमूना प्रपत्र से प्रतिभागियों की संख्यानुसार प्रतियां बनाकर उपयोग में लेवें। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर (12 फरवरी 2016) सभी भरें हुए प्री एवं पोस्ट जांच प्रपत्र एविडेन्श एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव के जिला समन्वयक को दे देवें ताकि इनका विश्लेषण किया जा सके।

अतः सभी विभागीय अधिकारी कार्यक्रम की गम्भीरता एवं आवश्यकता को देखते हुये उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना अक्षरशः किया जाना सुनिश्चित करें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (नरेश पाल गंगवार) | (कुंजी लाल मीणा) | (नवीन जैन) | (एम.पी.स्वामी) |
| शासन सचिव | शासन सचिव | मिशन निदेशक | निदेशक |
| माध्यमिक शिक्षा विभाग | प्रारंभिक शिक्षा विभाग | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | आई.सी.डी.एस |

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान।
9. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग को भेजकर निवेदन है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति की जनवरी 2016 की बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के क्रियान्वयन को बैठक का एक एजेन्डा रखा जाये ताकि पंचायत राज प्रतिनिधियों को आमजन को इस विषय पर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर

12. आयुक्त, आर .एम .एस .ए ., शिक्षा संकुल, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि मा . एवं उ .मा. विद्यालयों हेतु उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करवानें का श्रम करें
13. आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि प्रा . और उच्च प्रा .विद्यालयों हेतु उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करवानें का श्रम करें
14. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
15. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
16. निदेशक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
17. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड को भेजकर लेख है कि डाईस में पंजीकृत सभी मदरसों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्देशित करें
18. निदेशक, आर.सी.एच., चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान
19. समस्त जिला कलेक्टर
20. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
21. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
22. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय
23. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय
24. प्रतिनिधि, निजी विद्यालय को भेजकर लेख है कि डाईस 2014 मेंपंजीकृत निजीविद्यालयों से सम्पर्क करके उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें
25. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एविडेन्श एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव, जयपुर
26. पोषण अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(नरेश पाल गंगवार)** | **(कुंजी लाल मीणा)** | **(नवीन जैन)** | **(एम.पी.स्वामी)** |
| शासन सचिव | शासन सचिव | मिशन निदेशक | निदेशक |
| माध्यमिक शिक्षा विभाग | प्रारंभिक शिक्षा विभाग | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | आई.सी.डी.एस |

अनुलग्नक (क)

## राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2016
## स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्म

कृपया नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और किसी भी बॉक्स को खाली न छोड़ें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| राज्य रू | | जिला का नाम रू | |
| ब्लॉक का नाम रू | उपकेंद्ररू | ग्राम/नगर का नाम रू | |
| स्कूल का नाम | | स्कूल का DISE कोड | |
| स्कूल का प्रकार | सरकारी/सरकारी अनुदान ( ) | निजी/प्राइवेट ( ) | |
| क्या आपके स्कूल से किसी ने कृमि मुक्ति दिवस प्रशिक्षण में भाग लिया था : हाँ/ नहीं | | | |

| एल्बेंडाजॉल कवरेज | लड़कियाँ | लड़के | कुल |
|---|---|---|---|
| स्कूल में नामांकित बच्चों की कुल संख्या (6–19 साल) | | | (A) |
| नामांकित बच्चों की कुल संख्या (कक्षा 1 से 5) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस को एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (1) |
| नामांकित बच्चों की कुल संख्या (कक्षा 1 से 5) जिन्हें मॉप अप दिवस को एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (2) |
| नामांकित बच्चों की कुल संख्या (कक्षा 6 – 12) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस को एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (3) |
| नामांकित बच्चों की कुल संख्या (कक्षा 6 – 12) जिन्हें मॉप अप दिवस को एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (4) |
| **स्कूल ना जाने वाले बच्चों** की कुल संख्या (6 से 10 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (5) |
| **स्कूल ना जाने वाले बच्चों** की कुल संख्या (6 से 10 साल) जिन्हें मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (6) |
| **स्कूल ना जाने वाले बच्चों** की कुल संख्या (10 से 19 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (7) |
| **स्कूल ना जाने वाले बच्चों** की कुल संख्या (10 से 19 साल) जिन्हें मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | (8) |
| कोई अन्य | | | |
| **कुल योग**: बच्चों की कुल संख्या जिन्हें एल्बेंडाजॉल की दवाई खिलायी गयी **( B = 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8)** | (B) | | |
| स्कूल द्वारा सूचित गंभीर प्रतिकूल घटनाएं की कुल संख्या (प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रारूप प्रस्तुत करें) | | | |
| **लोजिस्टिक्स विवरण** | | | |
| स्कूल को प्राप्त एल्बेंडाजॉल की कुल संख्या | | | |
| स्कूल द्वारा बच्चों को खिलायी गयी एल्बेंडाजॉल की गोलियों की कुल संख्या (कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस) | | | |
| स्कूल के पास बची एल्बेंडाजॉल गोलियों की कुल संख्या | | | |
| **हस्ताक्षरकर्ता का नाम (स्कूल हेडमास्टर)** | | | |
| **हस्ताक्षर (स्कूल हेडमास्टर)** | | | |
| **फॉर्म जमा करने की तिथि** | | | |
| **हेडमास्टर का फोन नंबर** | | | |
| ***किसी भी समस्या के निवारण हेतु आप ब्लॉक के बी आर पी से बात कर सकते हैं।*** | | | |

**हेडमास्टर स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्म भर कर 17 फरवरी 2016 नोडल प्रधानाध्यापक (सरकारी स्कूल के संदर्भ में )/ बी आर पी (प्राइवेट स्कूल,केन्द्रीय विघालस के संदर्भ में )/ को जमा करें**

**नोडल प्रधानाध्यापक** सभी स्कूल रिपोर्टिंग फॉर्मस को ब्लाक पर **19 फरवरी 2016** तक जमा करें

हेडमास्टर इस फॉर्म की दो कॉपी बनाएं एक कॉपी निर्देशानुसार जमा करें और दूसरी कॉपी स्कूल में रखें

## राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2016
## आंगनवाड़ी रिपोर्टिंग फॉर्म

' कृपया नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और किसी भी बॉक्स को खाली न छोड़ें।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **राज्य :** | **जिले का नाम :** | **ब्लॉक का नाम :** | | |
| **उपकेंद्र:** | **ग्राम/नगर का नाम :** | **परियोजना का नाम:** | | |
| **सेक्टर का नाम :** | **आंगनवाड़ी केंद्र:** | **आंगनवाड़ी कोड:** | | |
| आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कृमि मुक्ति दिवस दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;हॉं नहींद्ध | | | | |
| **एल्बेंडाजॉल कवरेज** | | **लड़कियाँ** | **लड़के** | **कुल** |
| आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों की कुल संख्या | | | | (A) |
| **पंजीकृत बच्चों** की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजॉल दी गयी | | | | (1) |
| **पंजीकृत बच्चों** की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल दी गयी | | | | (2) |
| **गैर पंजीकृत बच्चों** की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजॉल दी गयी | | | | (3) |
| **गैर पंजीकृत बच्चों** की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल दी गयी | | | | (4) |
| **कुल योग: बच्चों की कुल संख्या जिन्हें एल्बेंडाजॉल दी गयी ( B = 1+2+3+4)** | | (B) | | |
| आंगनवाड़ी केंद्र से सूचित गंभीर प्रतिकूल घटनाएं की कुल संख्या ; प्रतिकूल घटना रिपोर्टिंग प्रारूप प्रस्तुत करें | | | | |
| **लोजिस्टिक्स विवरण** | | | | |
| आंगनवाड़ी केंद्र को प्राप्त एल्बेंडाजॉल की कुल संख्या | | | | |
| आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा बच्चों को खिलायी गयी एल्बेंडाजॉल की गोलियों /सिरप की कुल संख्या ; कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस | | | | |
| आंगनवाड़ी केंद्र के पास बची एल्बेंडाजॉल की गोलियों /सिरप की कुल संख्या | | | | |
| **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम** | | **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर** | | |
| **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फोन नंबर** | | **फॉर्म जमा करने की तिथि** | | |
| ***किसी भी समस्या के निवारण हेतु आप* परियोजना के सी डी पी ओ से *बात कर सकते हैं।*** | | | | |

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी रिपोर्टिंग फॉर्म भर कर **19 फरवरी 2016** तक आशा के माध्यम से ए एन एम को जमा करें ।
ए एन एम सभी आंगनवाड़ी रिपोर्टिंग फॉर्मस को ब्लाक पर **26 फरवरी 2016** तक जमा करें
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस फॉर्म की दो कॉपी बनाएं एक कॉपी ए एन एम को जमा करें और दूसरी कॉपी आंगनवाड़ी में रखें

# राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस. 2016

## सामान्य रिपोर्टिंग प्रारूप (उपकेंद्र, ब्लॉक, जिले, राज्य के लिए)

* कृपया नीचे दिए गए सभी विवरण भरें और और जहां कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है 'NA' लिखें

| | | | |
|---|---|---|---|
| राज्य : | जिला का नाम : | ब्लॉक का नाम : | |
| कुल सरकारी/सरकारी अनुदान स्कूलों की संख्या | | रिपोर्ट जमा करने वाले कुल सरकारी/सरकारी अनुदान स्कूलों की संख्या | |
| कुल निजी/प्राइवेट स्कूलों निजी/प्राइवेट की संख्या | | रिपोर्ट जमा करने वाले कुल निजी/प्राइवेट स्कूलों की संख्या | |
| कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या | | रिपोर्ट जमा करने वाले कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या | |
| कृमि मुक्ति दिवस पर प्रशिक्षित आशा की संख्या | | | |
| कृमि मुक्ति दिवस पर प्रशिक्षित सरकारी/सरकारी अनुदान स्कूलों की संख्या | | | |
| कृमि मुक्ति दिवस पर प्रशिक्षित निजी/प्राइवेट स्कूलों की संख्या | | | |
| कृमि मुक्ति दिवस पर प्रशिक्षित आंगनवाडी कार्यकर्ता की संख्या | | | |

**एल्बेंडाजॉल कवरेज**

| | | लड़कियाँ | लड़के | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्कूल ना जाने वाले बच्चों की कुल संख्या | | | | (A) |
| आंगनवाड़ी केंद्र में गैर पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या | | | | (B) |
| आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की कुल संख्या | | | | (C) |
| स्कूल में नामांकित बच्चों की कुल संख्या | सरकारी स्कूलों | | | (D) |
| | निजी/प्राइवेट स्कूलों | | | (E) |
| कुल लक्षित बच्चे | | | | (Z)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E) |
| **नामांकित बच्चों** की कुल संख्या (कक्षा 1 से 5) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | सरकारी स्कूलों | | | 1(a) |
| | निजी/प्राइवेट स्कूलों | | | 1(b) |
| **नामांकित बच्चों** की कुल संख्या (कक्षा 6 – 12) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | सरकारी स्कूलों | | | 2(a) |
| | निजी/प्राइवेट स्कूलों | | | 2(b) |
| **पंजीकृत** बच्चों की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | | (3) |
| **गैर पंजीकृत** बच्चों की कुल संख्या (1 से 6 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | | (4) |
| **स्कूल ना जाने वाले** बच्चों की कुल संख्या (6 से 10 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | | (5) |
| **स्कूल ना जाने वाले** की कुल संख्या (10 से 19 साल) जिन्हें कृमि मुक्ति और मॉप अप दिवस पर एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी | | | | (6) |
| **कुल योग: बच्चों की कुल संख्या जिन्हें एल्बेंडाजॉल खिलायी गयी (T=1a+1b+2a+2b+3+4+5+6)** | | | | (T) |
| **प्रतिशत कवरेज** | | (T) X 100 / (Z)= | | |
| स्कूल और आंगनवाडी केंद्र से सूचित गंभीर प्रतिकूल घटनाएं की कुल संख्या | | | | |

| **लोजिस्टिक्स विवरणरू ब्लॉक/जिले/राज्य (जो भी लागू हो टिक मार्क)** | सरकारी स्कूल | निजी/प्राइवेट स्कूल | आंगनवाडी केन्द्र |
|---|---|---|---|
| प्राप्त एल्बेंडाजॉल की कुल संख्या | | | |
| खिलायी गयी एल्बेंडाजॉल की गोलियों कुल संख्या | | | |
| बच गयी एल्बेंडाजॉल गोलियों की कुल संख्या | | | |
| **प्रतिक्रिया (अगर कोई)** | | | |
| नामए हस्ताक्षर ए अधिकारी का पद जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है | | | |
| नामए हस्ताक्षर ए अधिकारी का पद जिन्होंने डॉक्यूमेंट की जांच की है | | | |
| अधिकारी का फोन नंबर जो रिपोर्ट को जमा कर रहे है | | | |
| *किसी भी समस्या के निवारण हेतु आप राज्य कार्यालय (नाम : ......................................./फोन नं0..................................................) में बात कर सकते हैं।* | | | |

# सरकारी/सरकारी अनुदान स्कूलों स्कूलों व राज्य में आश्रमशाला **जमा करें** .........**(समयसीमा के अनुसार, कृपया अनुबंध देख** ब्लाक को जिला ऑफिसर को जमा करने की तिथि **10 March 2016** है जिले को स्टेट नोडल ऑफिसर को जमा करने की तिथि **17 March 2016** है

अनुलग्नक (ख)

List of Kendriya Vidhyalayas for block level training by Education Department

| S.no. | District | Block | Number of Schools | Name of Kendriya Vidhyalaya | Enrollment | Number of jars of Albendazole tablets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | AJMER(U) | 2 | KV No. 1&2, Ajmer | 2572 | 13 |
| 2 | | BHINAI | 2 | KV Beawar & Nasirabad | 2077 | 12 |
| 3 | ALWAR | UMRAIN | 2 | KV1 and Itarana | 2739 | 15 |
| 4 | BANSWARA | TALWARA | 1 | KV Banswara | 617 | 4 |
| 5 | BARAN | ANTA | 1 | KV Anta | 430 | 3 |
| 6 | | BARAN | 1 | KV Baran | 415 | 3 |
| 7 | | CHABRA | 1 | KV Chabra | 355 | 2 |
| 8 | BARMER | BARMER | 1 | KV Jalipa Cant | 886 | 5 |
| 9 | | BAYTU | 1 | KV Utarlai | 1383 | 7 |
| 10 | | SHIV | 1 | KV Jasinder | 193 | 1 |
| 11 | BHARATPUR | SEWAR | 1 | KV Bharatpur | 1376 | 7 |
| 12 | BHILWARA | SUWANA | 1 | KV Bhilwara | 589 | 3 |
| 13 | BIKANER | BIKANER | 4 | KV 1, KV2, KV Nal, KV BSF Khajuwala | 4021 | 22 |
| 14 | BUNDI | BUNDI | 1 | KV Bundi | 197 | 1 |
| 15 | CHITTAURGARH | CHITTORGARH | 1 | KV Chittuargarh | 444 | 3 |
| 16 | CHURU | CHURU | 1 | KV Churu | 950 | 5 |
| 17 | DAUSA | DAUSA | 1 | KV Dausa | 218 | 2 |
| 18 | DUNGARPUR | DUNGARPUR | 1 | KV Dungarpur | 505 | 3 |
| 19 | GANGANAGAR | ANOOPGARH | 1 | KV BSF Anoopgarh | 543 | 3 |
| 20 | | RAISINGHNAGAR | 1 | KV Raisinghnagar | 331 | 2 |
| 21 | | SADULSHAHAR | 1 | KV Lalgarh jattan | 540 | 3 |
| 22 | | SRI GANGANAGAR | 1 | KV Sadhuwali cant | 795 | 4 |
| 23 | | SURATGARH | 5 | KV Suratgarh Chavni, KV AFSS Suratgarh, KV2, KV3 AFSS Suratgarh, KV STPS Suratgarh | 2011 | 12 |
| 24 | HANUMANGARH | HANUMANGARH | 1 | KV Hanumangarh | 190 | 1 |
| 25 | JAIPUR | JAIPUR EAST | 1 | KV 3 | 1871 | 10 |
| 26 | | JAIPUR WEST | 2 | KV 1, KV 5 | 4752 | 30 |
| 27 | | JHOTWARA CITY | 2 | KV 2, KV 4 | 4694 | 25 |
| 28 | | SAMBHAR LAKE | 1 | KV Phulera | 819 | 5 |
| 29 | | SANGANER CITY | 1 | KV 6 | 1073 | 6 |
| 30 | JAISALMER | JAISALMER | 3 | KV BSF Ramgarh, KV BSF Dabla, AFS Jaisalmer | 1707 | 10 |
| 31 | | POKARAN | 1 | KV BSF Pokharan | 481 | 3 |
| 32 | JALORE | JALORE | 1 | KV Jalore | 477 | 3 |
| 33 | JHALAWAR | JHALRAPATAN | 1 | KV Jhalawar | 929 | 5 |
| 34 | JHUNJHUNU | JHUNJHUNU | 1 | KV Jhunjhunu | 1290 | 7 |
| 35 | | KHETRI | 1 | KV Khetri Nagar | 749 | 4 |
| 36 | | UDAIPURWATI | 1 | KV Udaipurwati | 339 | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | JODHPUR | JODHPUR CITY | 6 | KV 1 AFS, KV2 AFS, KV1 ARMY, KV2 ARMY, KV Banar, KV Jodhpur | 7841 | 42 |
| 38 | KARAULI | KARAULI | 1 | KV Karauli | 661 | 4 |
| 39 | KOTA | KOTA | 2 | KV1 kota, KV2 kota | 3081 | 16 |
| 40 | RAJSAMAND | DEOGRAH | 1 | KV Deograh | 388 | 2 |
| 41 | SAWAI MADHOPUR | GANGAPUR CITY | 1 | KV Gangapur city | 387 | 2 |
| 42 | | SAWAI MADHOPUR | 1 | KV Sawai Madhopur | 545 | 3 |
| 43 | SIKAR | DHOD | 1 | KV Sabablpura | 949 | 5 |
| 44 | SIROHI | ABU-ROAD | 1 | KV Mt Abu | 755 | 4 |
| 45 | TONK | DEOLI | 1 | KV Deoli | 947 | 5 |
| 46 | | MALPURA | 1 | KV Malpura | 417 | 3 |
| 47 | | TONK | 1 | KV Tonk | 348 | 2 |
| 48 | UDAIPUR | GIRWA | 3 | KV Pratapnagar, KV Eklinggarh cant, KV Zavar mines | 3199 | 17 |

## List of Navodaya Vidhyalayas for Block level training by Department of Education

| S.no. | District | Block | Number of Navodaya Vidhyalayas | Enrollment | Number of jars of Albendazole tablets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | PEESANGAN | 1 | 510 | 3 |
| 2 | ALWAR | KISHANGARH BAS | 1 | 504 | 3 |
| 3 | BANSWARA | BAGIDORA | 1 | 443 | 3 |
| 4 | | TALWARA | 1 | 108 | 1 |
| 5 | BARAN | ATRU | 1 | 512 | 3 |
| 6 | BARMER | BALOTRA | 1 | 531 | 3 |
| 7 | BHARATPUR | WEIR | 1 | 491 | 3 |
| 8 | BHILWARA | HURDA | 1 | 529 | 3 |
| 9 | BIKANER | KOLAYAT | 1 | 512 | 3 |
| 10 | BUNDI | TALERA | 1 | 618 | 4 |
| 11 | CHITTAURGARH | BHADESAR | 1 | 496 | 3 |
| 12 | CHURU | SARDARSHAHAR | 1 | 507 | 3 |
| 13 | DAUSA | DAUSA | 1 | 528 | 3 |
| 14 | DHAULPUR | DHOLPUR | 1 | 531 | 3 |
| 15 | DUNGARPUR | SAGWARA | 1 | 465 | 3 |
| 16 | GANGANAGAR | SRI GANGANAGAR | 1 | 467 | 3 |
| 17 | | SURATGARH | 1 | 74 | 1 |
| 18 | HANUMANGARH | RAWATSAR | 1 | 441 | 3 |
| 19 | JAIPUR | VIRATNAGAR | 1 | 484 | 3 |
| 20 | JAISALMER | JAISALMER | 1 | 499 | 2 |
| 21 | JALORE | JASWANTPURA | 1 | 543 | 3 |
| 22 | JHALAWAR | JHALRAPATAN | 1 | 532 | 3 |
| 23 | JHUNJHUNU | SURAJGARH | 1 | 493 | 3 |
| 24 | JODHPUR | BILARA | 1 | 490 | 3 |
| 25 | KARAULI | HINDAUN | 1 | 481 | 3 |
| 26 | KOTA | KHERABAD | 1 | 537 | 3 |
| 27 | NAGAUR | KUCHAMAN | 1 | 438 | 3 |
| 28 | PALI | MARVAR JUNCTION | 1 | 523 | 3 |
| 29 | RAJSAMAND | RAJSAMAND | 1 | 479 | 3 |
| 30 | SAWAI MADHOPUR | GANGAPUR CITY | 1 | 495 | 3 |
| 31 | SIKAR | NEEM KA THANA | 1 | 479 | 3 |
| 32 | SIROHI | SIROHI | 1 | 533 | 3 |
| 33 | TONK | TONK | 1 | 543 | 3 |
| 34 | UDAIPUR | MAVLI | 1 | 509 | 3 |